मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 4, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 9.01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा नगर निगम अध्यक्षों को निधि का आवंटन संबंधी प्रश्न संख्या-7 (क्रमांक 563) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 68 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में सरसों उत्पादन व खरीदी केन्द्र प्रारंभ किये जाने,

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के आदिवासी ग्राम अमकुही में गंभीर बीमारी के मरीज इलाज न होने से परेशान होने,

(3) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की छिंदवाड़ा बैतूल के किसानों को गन्ने की पैदावार लागत अनुसार दाम नहीं मिलने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज जिला रीवा में कई वर्षों से एक्सरे मशीन खराब पड़ी रहने,

(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के इटारसी विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी विकास खंड के ग्राम पथरौटा में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पद रिक्त होने,

(6) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य की प्रदेश में नदी नालों के पास के विद्युत कनेक्शन काटे जाने के बाद भी विद्युत बिल वसूले जाने,

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की गुलमोहर कालोनी के आगे नहर के पास तिलक नगर पाइंट से इंडस मार्केट तक की रोड की जर्जर हालत होने,

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में प्राचीन काल के आवदा बांध क्षतिग्रस्त होने,

(9) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्रामीण कारीगर (बढ़ई) को स्थानीय निस्तारी डिपो से उचित मूल्य पर लकड़ी न दिये जाने, तथा

(10) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य की बैरागढ़ स्थित कैंप नं.12 तक शासन द्वारा घोषित जल आवर्धन योजना बढ़ाये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,
पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने भिण्ड जिले में सहकारी संस्थाओं के चुनाव अधिकारियों का अपहरण कर उनके साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा भिण्ड जिले में सहकारी संस्थाओं के चुनाव अधिकारियों का अपहरण कर उनके साथ मारपीट किये जाने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में सूखा व ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राजस्व, राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में सूखा व ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति संबधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(श्री रविन्द्र सुका महाजन, श्री संजय शर्मा, श्री दुर्गालाल विजय, श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी याचिकाएं सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकी)

श्री हरवंश सिंह, सदस्य ने छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले की पेंच सिंचाई परियोजना हेतु वित्त वर्ष 2007-2008 के बजट में राशि का प्रावधान किये जाने संबंधी याचिका प्रस्तुत की।

6. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने अपना भाषण प्रारम्भ कर पूर्ण किया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने इस चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अशासकीय संकल्पों के विषय में माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उनके संकल्प अगली तिथियों में लिये जाये।

अत: आज अशासकीय कार्य नहीं होगा। आज की कार्यसूची में उल्लिखित अशासकीय कार्य, आगामी अशासकीय कार्य हेतु नियत दिनांक पर लिये जायेंगे।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

12 बजकर 44 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 7, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.